



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223057
CG-DL-E-12112020-223057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3567]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942

No. 3567]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4050(अ).— केन्द्रीय सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए बीना पनकी (कानपुर) पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री रमेश चन्द्र अपर उप-जिलाधिकारी प्रथम/ललितपुर, जिला- ललितपुर, उत्तर प्रदेश, सक्षम प्राधिकारी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीना पनकी (कानपुर) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना कार्यालय, प्रथम तल, ताप्ति कॉम्प्लेक्स, अगासोद पुलिस स्टेशन के पास, बी.ओ.आर.एल. आवासीय परिसर, बीना, जिला-सागर (म.प्र.) - 470124 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची				
तहसील- पाली	जिला- ललितपुर	राज्य- उत्तर प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डोंगरा कलां	2569	00	38	52
	2568	01	10	34
	2567	00	01	08
	2566	00	55	26
	2564	00	38	34
	2183	00	01	44
	2182	00	10	53
	2194	00	00	90
	2181	00	31	14
	2180	00	14	40
	2179	00	21	96
	2178	00	09	18
	2177	00	16	92
	2176	00	04	80
	2175	00	10	44
	2174	00	16	96
	2173	00	00	50
	2162	00	13	60
	2161	00	10	20
	2160	00	14	94
	2159	00	14	56
	2158	00	00	70
	2151	00	17	10
	2152	00	11	20
	2153	00	01	60
	2126	00	05	88
	2127	00	20	94
	2128	00	18	18
	2129	00	12	78
	2130	00	17	10
	2084	00	20	16
	2086	00	29	80
	2094	00	18	08
	2095	00	18	72
	2102	00	14	76
	2105	00	10	18
	2003	00	05	28
	2106	00	12	24
	2108	00	13	68
	2011	00	01	08
	Total	06	85	47

[फा. सं. आर.-11025(15)/3/2019-ओआर-I/ई-29921]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4050(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public Interest that for the transportation of the Petroleum Product in the state of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh Pipeline Should be laid for implementing of Bina-Panki (Kanpur) Pipeline Project by the Bharat Petroleum Corporation Limited.

And Whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in.

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri Ramesh Chandra Additional Deputy District Collector –I, Lalitpur District Lalitpur Uttar Pradesh, Competent Authority Bharat Petroleum Corporation Limited, BinaPanki (Kanpur) Pipeline Project Office 1st Floor Tapti Complex , Near Agasod Police Station , BORL Residential Complex, Bina District Sagar, (M.P.) - 470124 within twenty one days from the date on which the copies of this notification Issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE**Tehsil : Pali****District: Lalitpur****State: Uttar Pradesh**

Name of Village	Survey No./Gata No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dongra Kalan	2569	00	38	52
	2568	01	10	34
	2567	00	01	08
	2566	00	55	26
	2564	00	38	34
	2183	00	01	44
	2182	00	10	53
	2194	00	00	90
	2181	00	31	14
	2180	00	14	40
	2179	00	21	96
	2178	00	09	18
	2177	00	16	92
	2176	00	04	80
	2175	00	10	44
	2174	00	16	96
	2173	00	00	50
	2162	00	13	60
	2161	00	10	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2160	00	14	94
	2159	00	14	56
	2158	00	00	70
	2151	00	17	10
	2152	00	11	20
	2153	00	01	60
	2126	00	05	88
	2127	00	20	94
	2128	00	18	18
	2129	00	12	78
	2130	00	17	10
	2084	00	20	16
	2086	00	29	80
	2094	00	18	08
	2095	00	18	72
	2102	00	14	76
	2105	00	10	18
	2003	00	05	28
	2106	00	12	24
	2108	00	13	68
	2011	00	01	08
	Total	06	85	47

[F. No. R-11025(15)/3/2019-OR-I/E-29921]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.